HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7465/2025

Ishwar Chand Todi S/o Shri Bihari Lal Todi, Aged About 65 Years, R/o Village Chokha Ka Bass, District Sikar, Rajasthan.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

2. Bhupendra Singh Yadav S/o Vidhyasagar Yadav, R/o Fouladpur, Shahjahanpur, District Alwar, (Rajasthan)

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Ashvin Garg, Adv. Mr. Nonit Hatila, Adv. Mr. Bharat Kumar Todi, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy. GA
For Complainant(s)	:	Mr. Sanjay Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment / Order

04/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **169/2021** पुलिस थाना– **शाहजहांपुर** जिला– **भिवाड़ी**, अपराध अंतर्गत धारा **406, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान के पश्चात् अंतिम प्रतिवेदन सिविल नेचर का मानते हुए प्रस्तुत किया गया था, किंतु प्रकरण में पुनः अनुसंधान कर याची–अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, याची–अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तैयार एवं तत्पर हैं,

उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में सह–अभियुक्त विनोद कुमार जालान के संदर्भ में समकक्ष पीठ द्वारा बलपूर्वक दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने (**No Coercive**) का आदेश दिया हुआ है, जिससे याची–अभियुक्त का केस भिन्न नहीं है, अतः याची–अभियुक्त को भी उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की।

3. विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

4. हमने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

5. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **19.02.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **169/2021** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई दंडात्मक कार्यवाही (**No Coercive**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

6. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी तिथि पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

7. प्रकरण दिनांक **09.03.2026** को सूचीबद्ध हो।

(BHUWAN GOYAL),J

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /18